न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारीः श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्याः–72/2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांकः– 10/03/2022
निर्णय दिनांकः– 19/01/2026

अनवान

1. नेनूसिंह पिता डाऊसिंह जाति रावत निवासी बिच्छुदड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी चककालागुन मजरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–––प्राथी

बनाम

1. बाबुसिंह पिता अजबसिंह जाति रावत निवासी चाक देवडूंगरी(कुशलपुरा) तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. गेनसिंह पिता अजबसिंह जाति रावत निवासी चाक देवडूंगरी(कुशलपुरा) तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. अनु पत्नि मोहनसिंह जाति रावत जाति रावत निवासी चाक देवडूंगरी(कुशलपुरा) तहसील भीम जिला राजसमन्द
4. कमला पिता अजबसिंह पत्नी हरीसिंह जाति रावत जाति रावत निवासी शक्करगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी खाता संख्या 80 खसरा संख्या 92 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खसरा संख्या 79 एवं 80 स्थित है जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि आराजीयात में प्रवेश कर सकते है व पगडण्डी

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

रूपी रास्ते से अपनी कृषि भूमि में प्रार्थीगण आ जा रहे हैं तथा इसी आराजी से प्रार्थीगण कृषि उपकरण, हल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर कल्टी ईत्यादि का आवागमन अप्रार्थीगण की भूमि में होकर किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 268, 269, 270/3 भूमि में आवागमन का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में दिया गया है। उस 15 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावें एवं रास्ते की भूमि को बिलानाम दर्ज की जाकर प्रार्थी का आवागमन सुनिश्चित किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 की ओर से जवाब पेश किया कि प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण की खातदेारी भूमि से आवागमन नहीं होता था और न ही अब है प्रार्थी तो उनके खातेदार भूमि से लगती हुई सीमा राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ व उण्डावासन की सीमा में होकर आ जा रहे है प्रार्थी को अप्रार्थीगणों की भूमि में रास्ता नहीं दिलाने व प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करावें।

प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्राथी को राजस्व ग्राम समिति में स्थित अपनी खोतदारी आराजी संख्या 92 में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। प्रार्थी को खेतों में जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को ग्राम समिति खसरा संख्या 79, 80 में से रकबा 0.1250 हैक्टेयर क्रमशः 250 मीटर व चौड़ाई 05 मीटर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण व पेड़ आदि नहीं है। प्रस्तावित रास्ता वर्जित भूमि की श्रेणी में नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दर अनुसार दो गुणा राशि 71911 रूपये बनता जो राशि राजकोष में जमा योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—ए में प्रतिपादित है किः— [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जि. राजसमन्द (राज.) जिला-राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के प्रावधानों को कियान्विति के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 से अध्याय 12 जोड़कर नियम 68–70 के प्रावधान उपबन्धित किये गये है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68में खातेदारी भूमि मे से होकर नवीन रास्ते विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने एवं सिचाई हेतु पाइप लाईन के लिए नियम 68 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है एवं नियम 68 के प्रावधान अन्तर्गत पस्तुत आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच कर उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिन में निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 251–ए के अन्तर्गत खातेदारो को अन्य खातेदारों की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए उपबन्धित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आराजी संख्या 79, 80 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है जो जमाबन्दी संवत् 2076 के अनुसार आराजी संख्या 80 की खातेदारी तथा आराजी संख्या 79 बिलानाम सरकार में दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहल खातेदारी भूमि में से रास्ता दिए जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में जो रास्ता चाहा गया है उसमें से आराजी संख्या 79 राजकीय भूमि में है तथा आराजी संख्या 80 खातेदारी में दर्ज है। अतः राजकीय भूमि खसरा संख्या 79 में से उक्त धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 92 कुल किता 01 कुल रकबा 2.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम समिति पटवार हल्का ताल में पहुंच हेतु आराजी संख्या 80 में से कुल 800 वर्गमीटर भूमि रास्ता प्रार्थी की वाके ग्राम समिति में आने–जाने के लिए राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1)के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है। यह रास्ता सार्वजनिक रहेगा। तहसीलदार देवगढ़ उपरोक्त आराजी में रास्ते की भूमि (क्षेत्रफल) की गणना कर उपरोक्तानुसार प्रतिकर राशि प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलवाई जाकर रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग (जुज) रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19 / 01 / 2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द